न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-16/2016

आशाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज0)

--अपीलान्ट--

--बनाम--

1- नन्दाराम पुत्र कालूराम

2- रामचन्द पुत्र कालूराम

3- शिवपाल पुत्र कालूराम जरिये हरलाल पुत्र शिवपाल

4- रामेश्वर पुत्र भूराराम

समस्त जाति जाट निवासीगण बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

5- तहसीलदार (भूमिधारक) तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।

6- जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30-3-2015 द्वारा उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विद्याधर सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सोहनलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 4-6-2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 ने अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 381 रकबा 8.0300 हैक्टर, ख0नं0 380/1 रकबा 3.4000 हैक्टर है जिसके अब खसरा नं0 381/1 रकबा 1.44 हैक्टर ख0नं0 381/2 रकबा 2.69 हैक्टर ख0नं0 381/3

रकबा 3.74 हैक्टर, ख0नं0 381/4 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0नं0 381/5 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 380/1/1 रकबा 2.30 हैक्टर, ख0नं0 380/1/2 रकबा 1.05 हैक्टर वाके ग्राम बेसवा के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। आराजी ख0नं0 378 रकबा 5.69 हैक्टर, ख0नं0 379 रकबा 4.78 हैक्टर व ख0नं0 380/2 रकबा 0.9600 हैक्टर ग्राम बेसवा के अप्रार्थी सं0-1 व 2 काबिज खातेदार काश्तकार है प्रार्थी की खातेदारी भूमि में का एक मात्र रास्ता खसरा नं0 376 में से ग्राम बेसवा से ग्राम आलमास जाने वाले कटानी आम रास्ते से चलकर अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 378, 379, 380 जिसका अब ख0नं0 380/2 में से होकर उनकी उत्तरी सीमा के पास से होकर आठ फुट चौडा रास्ता है जो अनादीकाल से प्रार्थीगण के खेत में आता जाता है। इस रास्ते को ग्राम पंचायत बेसवा ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-1996 द्वारा मान्य किया है। जिसका अंकन ख0नं0 378, 379 व 380 की जमाबन्दियों में भी दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपनी अलग अलग ढाणिया बना रखी है। जिनमें आने जाने एवं अपने चाह पर विद्युत एवं कृषि यन्त्र लाने व लेजाने के लिये 18 फुट चौडा रास्ता चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 8 फुट रास्ते को चौडा कर 18 फुट चौडा किया जावे। अदालत मातहत ने दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 ने अपने खेतों में आवागमन हेतु आराजी ख0नं0 378 की उत्तरी सींव में से होकर 8 फिट चौडा रास्ता बाबत राजीनामा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायाधीश (व0ख0) के समक्ष दावा संख्या- 86/95 में दिनांक 25-9-1996 को करके रास्ते के बाबत पत्थरगढी कर दी गई थी। जो मौके पर आज भी 8 फिट रास्ता मौजूद होकर चालू है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 तामिल कुनिन्दा से साजिश कर अपीलान्ट की फर्जी तामिल करवा कर अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर एकपक्षीय निर्णय ले लिया जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। मुताबिक राजी-

कोई शहरीकरण व राज्य सरकार की कोई महती योजना नहीं होने के बावजूद 8 फिट चौडा रास्ता पर्याप्त सुखाधिकार के रूप में होने के बाद में उसकी चौडाई 8 फिट से बढाकर 18 फिट की किये जाने के आदेश कानून के विपरित पारित किये हैं । वर्तमान में जो रास्ता 8 फिट चौडा है उसमे से ऊट गाडी ट्रेक्टर व जीप आती जाती है । इस रास्ते को और अधिक चौडा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल नाम लिखकर गलत एवं फर्जी की गई है ।अपीलान्ट ने माननीय सिविल न्यायालय में जो राजीनामा किया है वह अंगूठा लगाकर किया है फिर अपीलान्ट जो अनपढ एवं अशिक्षित है उसकी तामिल उसका नाम लिखकर फर्जी तौर पर करवाई जाकर अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा आदेश अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-3-2015 की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 01-01-2016 को तब हुई जब अपीलार्थी को विवादित रास्ते के सम्बन्ध मे जमीन की कीमत का नोटिस तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त हुआ । इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 2-2-2016 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल प्राप्त कर दिनांक 4-2-2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अतः अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल साजिश के तौर पर तामिल कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तौर पर करवाई गई है ।अपीलान्ट कभी भी हस्ताक्षर नहीं करता है वह अपना अगूठा निशानी ही करता है ।मा०

किया है उस पर अपना अंगूठा निशानी ही की है ।कभी भी अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर नहीं किये। किन्तु अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल फर्जी तौर पर नाम लिखकर करवाई गई जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई छ का कोई अवसर नहीं दिया जिससे अपीलान्ट को अदालत मातहत के आदेश की जानकारी भी नहीं हो पाई । अपीलान्ट को इस आदेश की जानकारी तहसीलदार फतेहपुर द्वारा रास्ते की कीमत के बाबत नोटिस प्राप्त हुआ । जिस पर अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकल लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अपील में हुये विलम्ब को माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे ।रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 से 3 मुताबिक राजीनामा के अनुसार 8 फिट चौडे रास्ते से ही सदा से आते जाते रहे हैं । इसमें ऊट गाडी ट्रेक्टर एवं जीप कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिये आते जाते रहे हैं ।इस रास्ते पर पत्थरगढी की हुई है जो आज भी मौजूद है । रेस्पोन्डेन्ट ने इस रास्ते को 18 फिट (8 + 10=18 फिट) चौडा कराने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह कानून के विपरित पेश किया है ।सिविल कोर्ट में किये गये राजीनामा में रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 से 3 के हस्ताक्षर है। मौके पर 8 फिट चौडा रास्ता चालू किया गया। जिससे रेस्पोन्डेन्ट पाबन्द होते हुये भी अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तामिल साजशी करवा कर एकपक्षीय आदेश विधि के विपरित पारित करवाया है ।रेस्पोन्डेन्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र धारा-251(ए) रा0का0अ0 का पेश किया है वह विधि के विपरित है। जब राजीनामा से 8 फिट रास्ता लिया है तो अब ऐसी कौनसी परिस्थितयां पैदा हुई जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया ।प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य दर्ज नहीं किये गये है ।रेस्पोन्डेन्ट ने यह प्रार्थना पत्र महज साजिश के तौर पर पेश कर अपीलान्ट की फर्जी तामिल करवाई जाकर आदेश प्राप्त किया । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का यह कथन गलत है उनको सूचना नहीं दी गई ।अपीलान्ट की तामिल असालतन हुई है । इनकी तामिल फर्जी हुई है तो अपीलान्ट तामिल कुनिन्दा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाये । इन्होने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया क्योंकि तामिल अपीलान्ट स्वयं पर हुई है । इस कारण सर्व प्रथम अपीलान्ट की अपील मियाद के बाहर है । अपील को मियाद बाहर होने से ही खारिज किया जावे । दूसरा यह कि धारा 251(ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी खातेदारी के खेत में आने जाने का रास्ता सकडा है तो वह इस कानून के तहत उस रास्ते को चौडा करवा सकता है ।इस धारा पर सिविल न्यायालय मे किये गये राजीनामा का कोई विपरित असर नहीं होगा ।तहसीलदार फतेहपुर की मौका रिपोर्ट में इस रास्ते को 8 फिट के बजाय 18 फिट चौडा करने का प्रपत्र तैयार कर डी0एल0 सी0 दर से राशी की गणना की जाकर जमा के आदेश दिये है । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से रही है ।अपीलान्ट यहा पर अपील में एक्स पार्टी का बिन्दू नहीं उठा सकता यदि अपीलान्ट को एक्स पार्टी पर आपत्ति थी तो अदालत मातहत में आदेश-9 नियम -13 सीपीसी की दरखवास्त पेश करनी थी । यहा पर तो अपीलान्ट को गुणावगुण पर निर्णय में क्या कमी रही यही बताना होगा । अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट आशाराम पुत्र भूराराम का नोटिस पत्र क्रमांक-5916-18 दिनांक 24-2-2014 को दिनांक 14-3-2014 के लिये जारी किया गया है । जिस पर आशाराम के हस्ताक्षर है। इसके बाद तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के बाद उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर को नोटिस भिजवाया गया है ।अपीलान्ट ने तामिल कुनिन्दा की कोई शिकायत दर्ज की हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया ।इस कारण सर्व प्रथम अपीलान्ट की तामिल के सम्बन्ध मे यही माना जावेगा कि अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से हुई है ।किन्तु अपीलान्ट का निर्णय किसी

कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किये जाने के कारण अपील में हुये विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाकर अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है । यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट के जोत में आने जाने का रास्ता 8 फिट चौडा चालू है जो ग्राम पंचायत बेसवा के निर्णय दिनांक 20-6-96 के द्वारा मौके पर पत्थरगडी की जाकर निश्चित किया गया जो माननीय न्यायालय अति0 मुख्य सिविल न्यायाधीश§व0ख0§ फतेहपुर शेखा--वादी में किये गये राजीनामा दिनांक 25-9-96 से चालू है । यह तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 20-11-2014 में भी स्पष्ट है । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं बताया गया है । नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्ज किया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251§ए§ में रास्ते को चौडा करवाने का प्रावधान खातेदार को है । अदालत मातहत ने धारा-251§ए§ रा0का0अधि0 के तहत रास्ता चौडा किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । धारा-251§ए§ रा0का0अधि0 में केवल रास्ते का ही प्रावधान है जिसमें रास्ता दिया जाना अथवा कोई रास्ता है तो उसे आवश्यकतानुसार चौडा किया जा सकता है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधि संगत पारित किया है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के आदेश में ऐसी कोई कानूनी भूल नहीं बताई है जिससे अदालत मातहत का आदेश कानून के विपरित हो । अपीलान्ट का आरोप उसकी तामिल सही नहीं हुई। इस पर स्पष्ट है कि अपीलांट के सम्मन पर हस्ताक्षर है । जिससे अदालत मातहत ने तामिल मानकर आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने तामिल कुनिन्दा की कोई शिकायत/मुकदमा दर्ज करवाया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है ।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय दिनांक 30-3-2015 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18

§भंवरलाल मेहरड़ा§
भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी